

VILLAGE JAGANNATHPURA TEH. SANGANER

SHIV VILAS

SCALE 1"=50'-0"

1. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
2. राजस्थान अधिनियम-2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)

TYPE	TOTAL AREA (SQ. YARD)	%
TOTAL AREA	87036.25	
SECTOR ROAD	16487.3	
COMMERCIAL STRIP AREA		
JDA COMMERCIAL	5672.79	
KHATEDAR COMMERCIAL	7386.51	
TOTAL	29546.6	
REMAINING SCHEME AREA	57489.65	
RESIDENTIAL	27554.28	47.93
L.I.G./E.W.S.	1753.54	3.05
TOTAL	29307.82	50.98
RETAIL COMM.	1149.38	2.00
COMMERCIAL	3449.07	6.00
PARK / FACILITY	8690.43	15.12
ROAD	14892.95	25.91
TOTAL	100.00	

SECTOR ROAD 80' & 100' wide area calculation

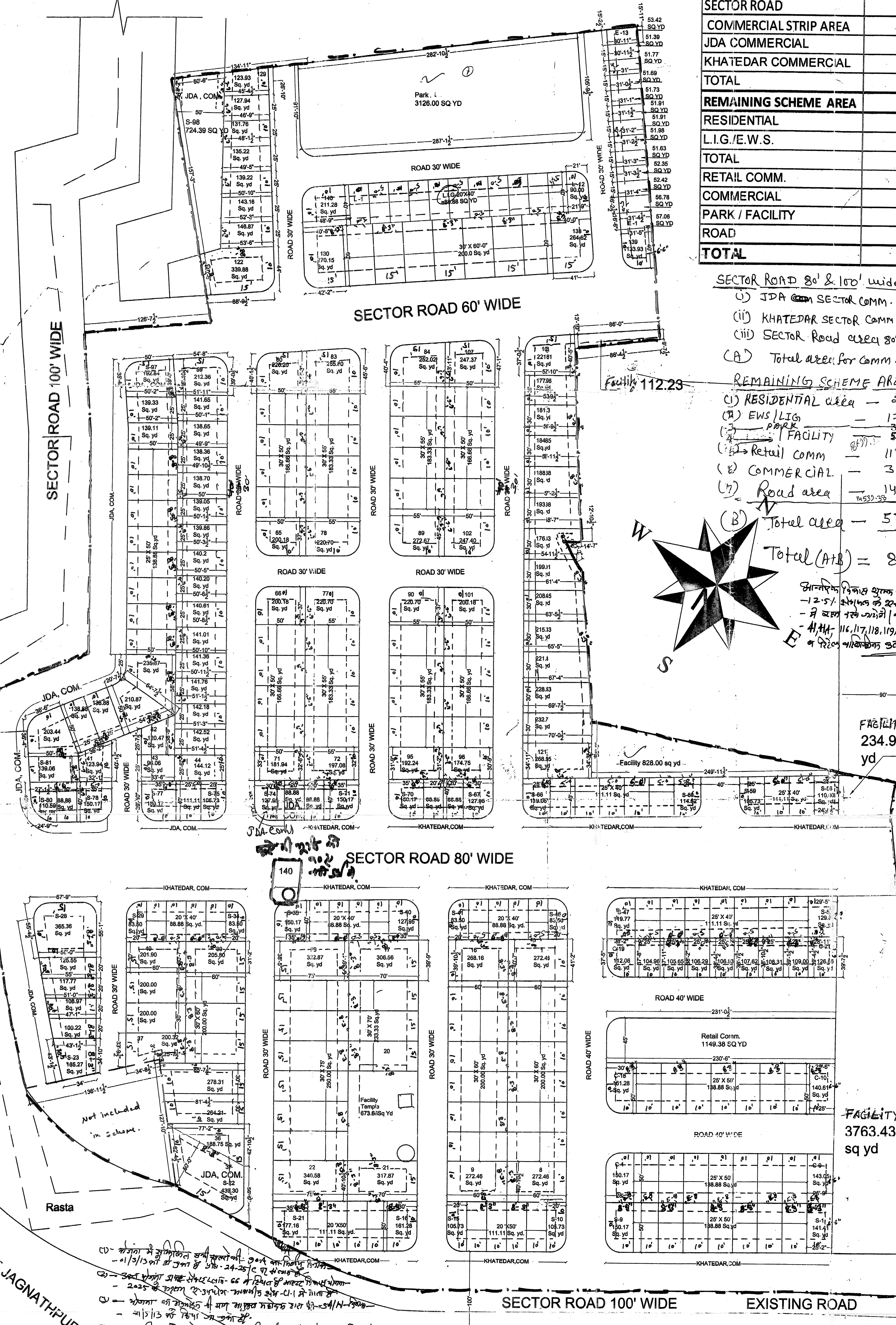
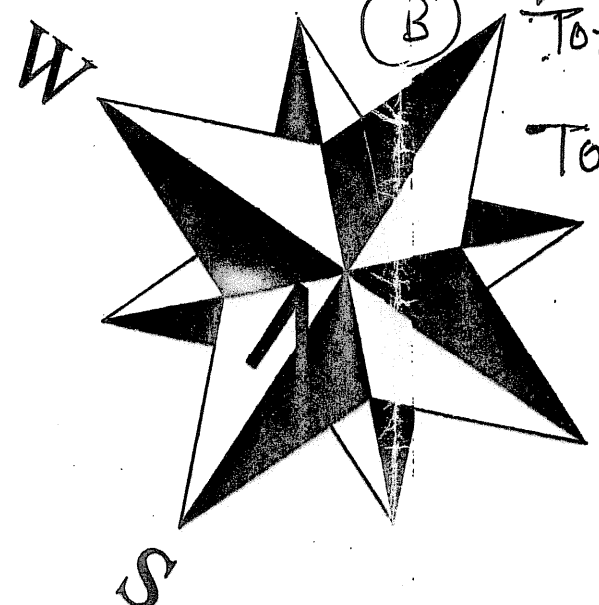
- JDA COMM SECTOR COMM. area - 5602.3 sqyd
- KHATEDAR SECTOR COMM. area - 7457.39 sqyd
- SECTOR ROAD area 80' & 100' - 16769.87 sqyd
- Total area for Comm & Road - 29829.56 sqyd

REMAINING SCHEME AREA

- RESIDENTIAL area - 27554.28 sqyd - 48.17%
- EWS/LIG - 1753.54 sqyd - 3.06%
- PARK - 8690.43 sqyd - 15.12%
- FACILITY - 3449.07 sqyd - 6.00%
- RETAIL COMM - 1149.38 sqyd - 2.00%
- COMMERCIAL - 3449.07 sqyd - 6.00%
- Road area - 14892.95 sqyd - 25.91%
- Total area - 57238.57 sqyd - 100%

Total (A+B) = 87036.13 sqyd

आवधिक विकास शुल्क के हिसाब से विभाजित -
- 12.5% 20/10/13 के 20 करोड़ रुपये तक 218 रु. प्रति रु.
- 5 रु. बचत 1 रु. का हिसाब 34, 35, 36, 37 -
- 41, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 रु. प्रति रु.
- 4 रु. प्रति रु. का हिसाब 34, 35, 36, 37 - 40 रु. प्रति रु.



1. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
2. राजस्थान अधिनियम-2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
3. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
4. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
5. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
6. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
7. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
8. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
9. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)
10. योजना आयोग अधिनियम 2010 के अन्तर्गत तैयार किया गया।
(18/08/2013 दिनांक-18/08/13)

आवधिक विकास शुल्क के हिसाब से विभाजित -
- 12.5% 20/10/13 के 20 करोड़ रुपये तक 218 रु. प्रति रु.
- 5 रु. बचत 1 रु. का हिसाब 34, 35, 36, 37 -
- 41, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 रु. प्रति रु.
- 4 रु. प्रति रु. का हिसाब 34, 35, 36, 37 - 40 रु. प्रति रु.